सूचना नीलामी दिनांक 03.03.2025 जिला जजी, झांसी।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर, झांसी स्थित अभिलेखागार अनुभाग में विनिष्ट अभिलेखों की नियमानुसार नीलामी दिनांक 03.03.2025 को समय 4:30 बजे जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा नामित समिति की देखरेख में नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, झांसी में होगी।

नीलामी के नियम तथा शर्तें इस प्रकार से हैं।

1.पिछले वर्ष के बकायादार को नीलामी में भाग नही लेने दिया जायेगा।

2.नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को 20 प्रतिशत सिक्योरटी धनराशि जमा करना होगी और वह माननीय जनपद न्यायाधीश, झांसी के आदेश के माध्यम से निर्धारित धनराशि की 20 प्रतिशत होगी।

3.बोली जिनके नाम छूटेगी उसे तत्काल नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि जमा करना होगी और उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्रों की अपेक्षानुसार एग्रीमेन्ट अपने व्यय पर निष्पादित करना होगा।

4.अधिक बोली दाता के पक्ष में नीलामी होने पर यदि उसके द्वारा तत्काल सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती तो नीलामी समिति स्वविवेकानुसार अधिकतम बोली के निकटतम बोली बोलने वाले के पक्ष में बोली स्वीकृत कर सकती है और ऐसी स्थिति में एेसे व्यक्ति को उसके द्वारा बोली गयी बोली की धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।

5.यदि जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी गयी अथवा नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गई उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा नहीं की गयी तो उसकी सिक्योरटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6.सभी वर्तमान ठेकेदार को नीलामी की शर्तों के अनुरूप बोली में भाग लेने का अधिकार रहेगा।

7.नीलामी शर्तों के उल्लघंन पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के जमा धनराशि जब्त करते हुये ठेका माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

8.अपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को बोली में भाग लेने का अधिकार नही होगा। यदि इस तथ्य को छिपाये जाने पर किसी व्यक्ति का ठेका स्वीकृत हो जाता है, तब उसकी जानकारी होने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

9.नीलामी की बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा एवं माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

(पवन कुमार शर्मा–I)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
जनपद न्यायालय, झांसी।